सिविल अपील क्रमाँक-42-A/2022.
बसंत कुमार (मृत) के वारिसान विरूद्ध राधिका रमण शुक्ला

न्यायालयः– प्रथम जिला न्यायाधीश, राजनांदगाँव, (छत्तीसगढ़)

(पीठासीन न्यायाधीश–डी०आर० देवांगन)

DUKHIRAM DEWANGAN
Digitally signed by DUKHIRAM DEWANGAN
Date: 2025.10.29 17:12:56 +0530

व्यवहार अपील प्रकरण क्रमांक-42-अ/2022.
संस्थित दिनाँक-13-12-2022.
C.N.R. No.-CGRN01-002007-2022.

बसंत कुमार (मृत) द्वारा वारिसान–

1. **श्रीमती रमा पांडे पत्नी विष्णु शरण पांडे, उम्र 54 वर्ष,**
   निवासी/द्वारा ए.के. पाण्डे, चंगोराभाठा, तहसील व
   जिला राजनांदगांव, (छत्तीसगढ़)
2. **श्रीमती कुसुम व्दिवेदी पत्नी स्व. अखिल कुमार व्दिवेदी, उम्र 56 वर्ष,** निवासी ममता नगर वार्ड नंबर 17,
   जिला राजनांदगांव, (छत्तीसगढ़)

...... **अपीलार्थीगण/प्रतिवादिनी क्रमांक-01(क) व 02.**

–// विरूद्ध //–

1. **राधिका रमण शुक्ला आ. गोपाल प्रसाद शुक्ला, उम्र 90 वर्ष,**
   निवासी ब्राम्हण पारा वार्ड नंबर 37, राजनांदगाँव,
   तहसील व जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
2. **छत्तीसगढ़ शासन द्वारा,**
   जिलाधीश राजनांदगांव,
   जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... **उत्तरवादीगण.**

सिविल अपील क्रमाँक-42-A/2022.
बसंत कुमार (मृत) के वारिसान विरूद्ध राधिका रमण शुक्ला

न्यायालय–द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 (श्री सर्वविजय अग्रवाल) राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०) के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-24-अ/2017, पक्षकार "राधिका रमण विरूद्ध बसंतकुमार वगैरह" में घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक-24-11-2022 से व्यथित होकर अपीलार्थिनीगण/प्रतिवादीगण क्रमांक-01 (क) व 02 द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीगण की ओर से श्री मनोज दुबे अधिवक्ता।

उत्तरवादिनी क्रमांक-01 की ओर से मोहम्मद हसन अधिवक्ता एवं श्री मनमोहन तिवारी अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक-02 की ओर से श्री विनोद बाजपेयी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक।

–// निर्णय //–
(आज दिनाँक-29/10/2025 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह व्यवहार अपील अंतर्गत धारा-96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 (श्री सर्वविजय अग्रवाल) राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०) के द्वारा **व्यवहार वाद क्रमांक-24-अ/2017**, पक्षकार **"राधिका रमण विरूद्ध बसंतकुमार वगैरह"** में घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक-24-11-2022 के

अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 01/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है।

2. **विचारण न्यायालय के समक्ष** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य रहा है कि उत्तरवादी क्रमांक-01/वादी राधिका रमण एवं मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 बसंत कुमार सगे भाई है और अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01(क) श्रीमती रमा पाण्डे एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 02 श्रीमती कुसुम व्दिवेदी प्रतिवादी क्रमांक 01 बसंत कुमार की पुत्रियां है तथा यह भी स्वीकृत है कि, प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 01 बसंत कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उसे विलोपित किया गया है और उसकी अन्य पुत्री रमा पाण्डे को प्रतिवादी क्रमांक 01 (क) के रूप में संयोजित किया गया है ।

3. **इस अपील को उद्भूत करने वाले विचारण न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी क्रमांक-01/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि,** वादी एवं मृत प्रतिवादी बसंत कुमार के संयुक्त नाम पर ग्राम परमालकसा, तहसील एवं जिला राजनांदगांव में खसरा नंबर 182 रकबा 15.50 एकड़, खसरा नंबर 196/1 रकबा 0.22 एकड़, खसरा नंबर 197/1 रकबा 0.15 एकड़, खसरा नंबर 198/1 रकबा 9.86 एकड़ कुल खसरा 04 कुल रकबा 25.73

एकड़ भूमि स्थित है, जिसमें से उभय पक्षों के मध्य खसरा नंबर 182 रकबा 15.50 एकड़ भूमि विवादित है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न अनुसूची **" अ "** में दर्शाया गया है, जिसे वादग्रस्त भूमि के रूप में आगे संबोधित किया जायेगा। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवारा वादी एवं मृत प्रतिवदी बसंत कुमार के मध्य नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि के अलावा मृत प्रतिवादी बसंत कुमार के व्यक्तिगत नाम पर ग्राम परमालकसा में विभिन्न खसरा नंबर की कुल 07 खसरा कुल रकबा $19.6^{1/2}$ एकड़ भूमि है ।

4. **उत्तरवादी क्रमांक-01/वादी** द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश वाद पत्र में आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि, मृत प्रतिवादी बसंत कुमार ने अपने खसरा नंबर 195/1 रकबा 5.13 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि को अपनी पुत्री प्रतिवादिनी क्रमांक 02 कुसुम व्दिवेदी को देने के लिए एक आवेदन तहसीलदार राजनांदगांव के समक्ष पेश किया जिसमें उसके कहने पर वादी ने तहसीलदार राजनांदगांव के समक्ष उपरोक्त नामांतरण प्रकरण में अपना बयान दर्ज कराया । इसके साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 01 व प्रतिवादी क्रमांक 02 ने भी तहसीलदार के समक्ष उक्त संबंध में अपना बयान दर्ज कराया, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विधि विरूद्ध एवं फर्जी तरीके से राजस्व

सिविल अपील क्रमाँक-42-A/2022.
बसंत कुमार (मृत) के वारिसान विरूद्ध राधिका रमण शुक्ला

अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अनुसूची **" अ "** में वर्णित संयुक्त परिवार की संपत्ति खसरा नंबर 182/1 रकबा 15.50 एकड़ भूमि को अपनी पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 02 कुसुम व्दिवेदी के नाम पर दर्ज करवा लिया जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवारा उभय पक्ष के मध्य नहीं हुआ था। बंटवारा के पश्चात ही प्रतिवादी क्रमांक 01 अपने हिस्से की भूमि को अंतरण कर सकता है।

5. **उत्तरवादी क्रमांक-01/वादी** द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश वाद पत्र में आगे यह भी अभिवचन किया गया है कि, वादी अपने बड़े भाई प्रतिवादी क्रमांक 01 बसंत कुमार पर अत्यधिक विश्वास करता था तथा वादग्रस्त भूमि की देख–रेख व संचालन, संपादन का कार्य प्रतिवादी क्रमांक 01 ही करता था, वादी को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा जो भी बताया जाता था वह आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता था, जिसका नाजायज लाभ प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उठाया जाता रहा और वादी के हक हिस्से की भूमि पर वादी की जानकारी के बिना प्रतिवादी क्रमांक 01 ने फर्जी तरीके से प्रतिवादिनी क्रमांक 02 का नाम दर्ज करवा दिया। वादी को उक्त छल–कपट के तथ्य की जानकारी प्रथम बार माह नवम्बर वर्ष 2015 में हुई तब उसके द्वारा अपनी वादग्रस्त भूमि के संबंध में जांच–पड़ताल की गयी तथा संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त कर

विवाद को सामाजिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया गया किन्तु कोई समाधान नहीं निकालने के कारण तहसीलदार द्वारा दिये गये बंटवारा संशोधन आदेश दिनांक 11-01-2005 विधि विरूद्ध होने से शून्य घोषित किये जाने तथा अनुसूची **" अ "** में वर्णित वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से पर स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा दिलाये जाने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादी के हिस्से पर हस्तक्षेप न किये जाने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया।

6. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण क्रमांक-01 व 02 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा पेश कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादी के शेष अभिवचन को अस्वीकार करते हुए अभिवचन किया गया है कि, खसरा नंबर 187/1 रकबा 15.50 एकड़ भूमि बसंतकुमार शुक्ला को बंटवारा में वादी का बड़ा भाई होने के कारण जेठासी में प्राप्त हुई थी, जिस पर वादी अनावश्यक विवाद कर रहा है। वादी ने स्वयं राजस्व न्यायालय के समक्ष बसंतकुमार शुक्ला को अधिक भूमि बंटवारे में प्रदान किया जाना स्वीकार किया है। इसके अलावा कंडिका 04 में उल्लेखित संपत्ति जो ग्राम परमालकसा में स्थित है, वह बसंतकुमार शुक्ला की स्वअर्जित संपत्ति है जिसमें से उन्होंने

अपनी पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 02 कुसुम व्दिवेदी को प्रदान किया था । वादी पढ़ा लिखा चालाक व्यक्ति है और समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी उसने षड़यंत्रपूर्वक वाद प्रस्तुत किया है। वादी के द्वारा शासकीय अधिकारी के विरूद्ध झूठा आरोप लगाया गया है और यह वाद प्रस्तुत करने के पहले शासन को धारा 80 व्य.प्र.सं. के तहत कोई नोटिस नहीं भेजा है। वादी नवम्बर 2015 में आदेश की जानकारी होने का झूठा अभिवचन किया है । वादी के द्वारा परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद झूठे आधारों पर वाद कारण दिनांक 16-12-2015 को उत्पन्न होना बताया जा रहा है जो असत्य है। वादी द्वारा तहसीलदार राजनांदगांव के आदेश के विरूद्ध परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गयी थी जो खारिज कर दी गयी है। उक्त तथ्य को छिपाकर वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।

7. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण क्रमांक-01 व 02 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश जवाबदावा में आगे अभिवचन किया गया है कि, वादी एवं उसके परिवारजन को समस्त कार्यवाही एवं तथ्यों की जानकारी पूर्व से है, जिसे उन्होंने पूर्व में कभी भी चुनौती नहीं दी है। दावा लाने की अवधि वर्षों पूर्व समाप्त हो जाने के पश्चात दावा प्रस्तुत करने के लिए मियाद की षडयंत्र

पूर्वक झूठे फर्जी आधार उत्पन्न करते हुए दिनांक 16-12-2015 को जानकारी दिनांक से मियाद प्रारंभ होना बताया गया है जो कि असत्य एवं विधि विरूद्ध है। वादी अपने ही स्वेच्छापूर्वक दिये गये बयान के विपरीत उसे शून्य उद्घोषित कराने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है, वह वाद ग्रस्त भूमि के आधिपत्य में नहीं है और न ही उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज है, यह स्थिति 12 वर्ष से लगातार आज दिनांक तक कायम है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 सतत निरंतर 12 वर्षों से वादी एवं उनके परिवार जन की जानकारी में व्यवस्थित कब्जे में चले आ रहे पूर्व स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी है। वादी का वाद समयावधि से बाधित है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन एवं धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस नहीं दिये जाने तथा समयावधि बाधित होने से झूठे एवं असत्य आधारों पर प्रस्तुत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः 10,000/-रूपये क्षतिपूर्ति दिलाते हुए वादी का वाद निरस्त किया जावे।

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निम्नानुसार वाद प्रश्न विरचित कर उस पर उनके द्वारा निष्कर्ष दिया गया है :–

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के बीच पारित बंटवारा संशोधन आदेश दिनांक 11-01-2005 विधि विरूद्ध, फर्जी व कपटपूर्ण होने के कारण शून्य घोषित करने योग्य है?	**"प्रमाणित हाँ "**
02.	क्या वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरूद्ध ग्राम परमालकसा, तहसील व जिला राजनांदगांव में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 182/1 रकबा 15.50 के बराबर आधे हिस्से का स्वामी घोषित किये जाने योग्य है?	**"प्रमाणित हाँ"**
03.	क्या वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरूद्ध उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा पाने का अधिकारी है?	**"प्रमाणित हाँ"**
04.	क्या वादी, प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरूद्ध उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?	**"प्रमाणित हाँ"**
05.	क्या वादी, ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर उचित न्यायशुल्क चस्पा किया है?	**"प्रमाणित हाँ"**
06.	क्या वादी का वाद परिसीमा अधिनियम के तहत परिसीमा में है?	**"प्रमाणित हाँ"**
07.	क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में शासन राजस्व अधिकारी को पक्षकार न बनाकर पक्षकारों का असंयोजन हुआ है?	**"प्रमाणित नहीं"**

08.	सहायता एवं अनुतोष ?	**"कंडिका क्रमांक-29 के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया गया है तथा डिक्री तैयार की गई है"**

और विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख में आये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अधिसंभाव्यता की प्रबलता से वादी द्वारा अपना पक्ष साबित करने में सफल रहने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया गया है। उक्त निर्णय व आज्ञप्ति के विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण क्रमांक-01(क) व 02 द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

9. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण क्रमांक-01(क) व 02 द्वारा निम्न आधारों पर यह अपील पेश किया गया है :-

1. विचारण न्यायालय ने वाद में उपलब्ध साक्ष्य व तथ्य से परे जाकर प्रश्नास्पद आलोच्य निर्णय व आज्ञप्ति पारित कर गंभीर विधिक त्रुटि की है।

2. वादी द्वारा अपने वाद पत्र में किये गये अभिवचन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं. पेश किया गया था परन्तु उक्त पर प्रतिपरीक्षण न होने से विधि की नजर में उसका कोई

विधिक औचित्य नहीं है, जिससे वादी का वाद प्रमाणित नहीं है, इसके बाद भी विचारण न्यायालय के द्वारा डिक्रित किया जाना अपने आप में अचंभित करने वाला होकर सरासर विधि के मान्य सिद्धांतों की अवहेलना है ।

3. वादी ने वाद को परिसीमा में लाने के लिए राजस्व न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होने का मिथ्या कथन किया है, जिसे विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर लेकर मान्य कर लिया है जो अपने आप में गलत बात है। अतः पारित निर्णय व आज्ञप्ति अपास्त किया जावे ।

4. वादी का अभिवचन वादी के ही साक्ष्य से समर्थित नहीं है, वहां वादी का वाद अत्यंत ही दुर्बल माना जायेगा । इस प्रकार वादी द्वारा अपना वाद अपने बलबूते पर प्रमाणित ही नहीं किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार किया जाना अपने आप में ही विधि विपरीत है।

5. वादी को अपना वाद अपने बलबूते प्रमाणित करना होता है, वह प्रतिवादी की किसी दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता, फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के साक्ष्य का अवलंबन लेकर वाद डिक्रित

किया है वह अपने विहित क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग की श्रेंणी में होने से पारित डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायसंगत होगा ।

6. विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी एवं उसके साक्षियों के बयान तथा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत को अनदेखा करते हुए एकपक्षीय स्वरूप का निर्णय पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने विहित क्षेत्राधिकार का त्रुटिपूर्ण प्रयोग कर मनमाने ढंग से प्रक्रियाओं का दुरूपयोग करते हुए यांत्रिक तरीके से प्रश्नास्पद आलोच्य आज्ञप्ति पारित किया है, जिसे अपास्त किया जाये।

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से पेश दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में कोई निष्कर्ष प्रदान न कर वाद में दस्तावेजी साक्ष्य की मौजूदगी में मौखिक साक्ष्य पर विचार कर धारा 91 साक्ष्य अधिनियम की अवहेलना किया गया है।

9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र, जवाबदावा में लिये गये आधार के आलोक में साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण किये बिना मनमाने ढंग से निर्णय पारित कर प्रक्रियाओं का दुरूपयोग किया गया है, इसलिए पारित निर्णय व आज्ञप्ति कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने विहित क्षेत्राधिकार का त्रुटिपूर्ण प्रयोग कर काल बाधित वाद में तथा राजस्व न्यायालय के पारित आदेश के खिलाफ सिविल वाद पेश करने की समय सीमा एक साल को अनदेखा कर कालबाधित दावा में आलोच्य निर्णय व आज्ञप्ति पारित कर दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

11. विचारण न्यायालय द्वारा न्यायशुल्क के बिन्दु पर प्रतिवादी द्वारा की गयी आपत्ति को अमान्य किया गया है, इसलिए उचित न्यायशुल्क के अभाव में डिक्री प्रभावी नहीं है।

अतएव विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनाँक–**24-11-2022** को निरस्त कर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

10. उत्तरवादी क्रमांक-01/वादी के द्वारा अपील का विरोध करते हुए अंतिम तर्क में व्यक्त किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का उचित विवेचना कर, निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतः सही व उचित है, उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। फलतः

अपीलार्थीगण/प्रतिवादी क्रमांक 01(क) व 02 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किया जावे।

11. इस व्यवहार अपील के निराकरण हेतु न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०) के **व्यवहार वाद क्रमांक-24-A/2017**, पक्षकार **" राधिकारमण विरूद्ध बसंत कुमार व अन्य"** के अभिलेख तथा घोषित निर्णय व आज्ञप्ति दिनाँक-24-11-2022 का अवलोकन, परिशीलन किया गया।

12. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से स्वयं वादी राधिकारमण (वा०सा०-01) एवं श्रीमती कल्पना पाण्डे (वा०सा०-02) का शपथ पत्रीय साक्ष्य अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया गया है तथा वाद के समर्थन में ऋण पुस्तिका बनाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-01, किस्तबंदी खतौनी आसामीवार की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-02, प्रदर्श पी-03, बसंत कुमार शुक्ला के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-04, राधिकारमण के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-05, श्रीमती कुसुम बाई के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-06, राजस्व न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-07 एवं फर्द बंटवारा

की प्रमाणित प्रति **प्रदर्श पी-08** पेश किया गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादिनी क्रमांक-02 श्रीमती कुसुम व्दिवेदी (प्रति०सा०-01), रूपेन्द्र कुमार व्दिवेदी (प्रति०सा०-02) का साक्ष्य पेश किया गया है तथा अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. इस अपील के संबंध में उभय पक्षकारों ने लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत किये हैं, जिसके अवलोकन से इस अपील के निर्णय हेतु मेरे समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-

> **" क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनाँक-24-11-2022 तथ्य व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है? "**

-//निष्कर्ष के आधार//-

विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक-01 से 04 के संबंध में : -

14. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक-01 मृत बसंत कुमार शुक्ला एवं वादी राधिका रमण शुक्ला दोनो आपस में सगे भाई हैं, यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नंबर 182/1 रकबा

15.50 एकड़ दोनो भाईयों का संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि रही है तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम परमालकसा में स्थित खसरा नंबर 195/1 रकबा 5.13 एकड़ भूमि मृत प्रतिवादी क्रमांक-01 की व्यक्तिगत स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है।

15. उभय पक्ष के मध्य विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि, उक्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 182/1 रकबा 15.50 एकड़ में से 4.00 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने अपनी पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 02 के नाम राजस्व न्यायालय के माध्यम से करवा लिया है, जबकि उभय पक्षों के मध्य उक्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का कोई विधिवत् बंटवारा नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रतिवादीगण ने यह प्रतिरक्षा लिया है कि, उक्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 182/1 रकबा 15.50 एकड़ को प्रतिवादी क्रमांक 01 ने बड़े भाई की हैसियत से जेठासी के रूप में प्राप्त किया था, जिसके कारण उसने उक्त भूमि में से 4.00 एकड़ भूमि को अपने पुत्री प्रतिवादी क्रमांक 02 के नाम पर दर्ज कराया है।

16. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 श्रीमती कुसुम व्दिवेदी की ओर से शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण स्वरूप का साक्ष्य कथन आदेश 18 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस आशय का ऐसा कोई साक्ष्य कथन नहीं है कि मृत प्रतिवादी बसंत कुमार शुक्ला को उक्त वादग्रस्त भूमि जेठासी के रूप में प्राप्त हुई थी । प्रतिपरीक्षण में भी इस साक्षी का ऐसा कोई साक्ष्य कथन प्रकट नहीं हुआ है जिससे यह दर्शित हो कि, उक्त वादग्रस्त भूमि को मृत प्रतिवादी बसंत कुमार शुक्ला ने जेठासी के रूप में प्राप्त किया था, बल्कि इस प्रतिवादिनी ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि, ग्राम परमालकसा में ही उसके पिता बसंत कुमार शुक्ला एवं वादी राधिकारमण शुक्ला के संयुक्त नाम पर कुल 07 खसरा कुल रकबा 25.73 एकड़ कृषि भूमि थी तथा यह भी स्वीकार की है कि, उसके पिताजी ने अपने हिस्से की जमीन उसे बंटवारा में दिया था। इस साक्षी का आगे यह भी कथन है कि, उक्त बंटवारा के समय उसके पिताजी बसंतकुमार शुक्ला व वादी राधिकारमण शुक्ला के बीच कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अपने उक्त प्रतिरक्षा को साबित करने के प्रयोजनार्थ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह दर्शित हो कि, उक्त वादग्रस्त भूमि

मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 बसंत कुमार शुक्ला को जेठासी के रूप में प्राप्त होकर वादी एवं मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 के मध्य विधिवत् बंटवारा होकर उसमें से 4.00 एकड़ भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 02 ने प्राप्त की थी ।

17. वादी की ओर से नायब तहसीलदार राजनांदगांव के समक्ष मृत प्रतिवादी बसंतकुमार शुक्ला के द्वारा **प्रदर्श पी-01** के अनुसार प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि, उसने अपनी पुत्री प्रतिवादिनी क्रमांक 02 कुसुम व्दिवेदी को उक्त वादग्रस्त भूमि में से 4.00 एकड़ भूमि काबिज काश्त एवं बंटवारा के आधार ऋण पुस्तिका बनाये जाने हेतु आदेश दिये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त राजस्व प्रकरण के लंबनकाल में मृत प्रतिवादी बसंतकुमार शुक्ला के साथ साथ वादी राधिकारमण शुक्ला एवं प्रतिवादिनी क्रमांक 02 श्रीमती कुसुम व्दिवेदी का शपथ पूर्वक कथन दर्ज किया गया था जिसमें उक्त तीनों ने यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य कथन किये है कि, मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 बसंतकुमार शुक्ला के स्वयं की नाम की कुल खसरा 04 कुल रकबा 18.57 एकड़ में से खसरा नंबर 195/2 का टुकड़ा 1:00 एकड़ भूमि को प्रतिवादिनी क्रमांक 02 श्रीमती कुसुम व्दिवेदी को बंटवारा में देना चाहता है, जिस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । उक्त तीनों के

द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य कथन राजस्व न्यायालय के उक्त प्रकरण के साक्ष्य के दौरान भी नहीं किया गया है कि, वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 182/1 के रकबा में से 4.00 एकड़ भूमि को मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 ने जेठासी के रूप में बंटवारा में प्राप्त किया था जिसे प्रतिवादी क्रमांक 02 को दी गयी है ।

18. इस प्रकार उक्त राजस्व प्रकरण में नायब तहसीलदार राजनांदगांव द्वारा उक्त तीनों गवाहों के बयानों को अनदेखा करते हुए संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि में से 4.00 एकड़ की भूमि प्रतिवादिनी क्रमांक 02 श्रीमती कुसुम व्दिवेदी के नाम किये जाने हेतु फर्द बंटवारा मंगाया जाकर दिनांक 11-05-2005 को आदेश पारित करते हुए भू-राजस्व संहिता की धारा 178(क) के तहत खाता विभाजन स्वीकार किया गया। अतः यह प्रमाणित होता है कि, उक्त बंटवारा संशोधन आदेश दिनांक 11-05-2005 विधिसम्मत नहीं है। चूंकि प्रकरण में वादी एवं मृत प्रतिवादी क्रमांक 01 के मध्य बंटवारा नहीं होना स्वीकृत तथ्य है तथा वादग्रस्त भूमि 182/1 रकबा 15.50 एकड़ की भूमि संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि होना भी स्वीकृत तथ्य है। इस कारण उक्त वादग्रस्त भूमि पर बराबर-बराबर हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 प्राप्त करने के अधिकारी होकर

वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के आधा हिस्से का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष देने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक-05 के संबंध में : –

19. वादी ने यह वाद बंटवारा संशोधन आदेश दिनांक 11-01-2005 को विधिविरूद्ध एवं कपटपूर्ण होने से फर्जी व शून्य घोषित करने एवं स्वामित्व की उद्घघोषणा तथा स्थायी निषेधाज्ञा व कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस वाद प्रश्न के संबंध में न्यायशुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 7 (vi)(ग) एवं (घ) एवं 7(vi-क) के प्रावधानों के प्रकाश में वादी द्वारा उचित न्यायशुल्क चस्पा किया जाना पाया है, जो कि, उचित है।

विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक-06 के संबंध में :–

20. वादी द्वारा नायब तहसीलदार राजनांदगांव के द्वारा फर्द बंटवारा के आदेश दिनांक 11-01-2005 की वादी को जानकारी नहीं होने तथा उक्त आदेश की जानकारी प्रथम बार माह नवम्बर 2015 में जांच पड़ताल

करने के बाद पता चलने का जो अभिवचन किया गया है तथा उक्त जानकारी होने के पश्चात संबंधित विभाग से दस्तावेज प्राप्त कर दिनांक 17-03-2017 को वाद प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, वह विश्वसनीय दर्शित होता है तथा यह प्रमाणित होता है कि, वादी को जानकारी होने के पश्चात तीन वर्ष की परिसीमा के भीतर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया सकारात्मक निष्कर्ष उचित है ।

विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक-07 के संबंध में :-

21. इस वाद प्रश्न की रचना राजस्व अधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के संबंध में विरचित किया गया है। इस संबंध में कोई भी प्रकरण जब किसी न्यायालय में दर्ज होता है तब उस प्रकरण से संबंधित हितबद्ध पक्षकार ही उस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होते है, न कि जिस न्यायालय या अधिकरण में प्रकरण संस्थित होकर संचालित किया जाता है, वह न्यायालय उस प्रकरण के आवश्यक पक्षकार होगा। अतः ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि, इस व्यवहार वाद में संबंधित राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आवश्यक पक्षकार हैं। इस कारण आवश्यक पक्षकारों के

<u>सिविल अपील क्रमाँक-42-A/2022.</u>
<u>बसंत कुमार (मृत) के वारिसान विरूद्ध राधिका रमण शुक्ला</u>

असंयोजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया नकारात्मक निष्कर्ष उचित एवं सही है ।

<u>विद्वान विचारण न्यायालय के वाद प्रश्न क्रमांक-08 सहायता एवं व्यय के संबंध में</u> :-

22. फलतः अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से **निरस्त** की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनाँक-24.11.2022 की **पुष्टि** की जाती है।

23. उभय पक्ष अपना - अपना वाद व्यय वहन करेंगें।

24. अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार प्रमाणित होने पर प्रमाण अनुसार अथवा सारिणी अनुसार जो भी न्यून हो, देय हो।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनायी जाये।

दिनांक-29-10-2025

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।
सही/-
(डी.आर. देवांगन)
प्रथम जिला न्यायाधीश,
राजनांदगांव, छ.ग.

निर्णय मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-
(डी.आर. देवांगन)
प्रथम जिला न्यायाधीश,
राजनांदगांव, छ.ग.